

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21(1904 का 1) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं० 24 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 84/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 25 October, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 84/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 25 October, 2017

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9B	Chapter 99	Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries).	Nil	Nil".

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from 28th day of September, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary